कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद देहरादून।

ईमेल–cfoddn.ukfs@gmail.com

पत्रांकः न–20/असुव्य (35)/24 दिनांकः मई 20, 2024

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक
GEORGE PUBLIC SCHOOL
NIMBUWALA, GARHICANTT
जनपद–देहरादून।

सन्दर्भः– शैक्षणिक भवन में अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थना पत्र यूआईडी नं0–79314916 दिनांक 11.05.2024 के द्वारा GEORGE PUBLIC SCHOOL, NIMBUWALA, GARHICANTT, जनपद देहरादून की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी देहरादून की निरीक्षण आख्या दिनांक 17.05.2024 के अनुसार स्थापित अग्निशमन यंत्र कार्यशील दशा में है। उपकरणों का निर्धारित परीक्षण शुल्क राजकोष में जमा करा दिया गया है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेगे। शैक्षणिक भवन के विस्तार/अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य है, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व–घोषणा पत्र/Self Audit Report इस कार्यालय को ऑन लाईन/ऑफ लाईन माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः GEORGE PUBLIC SCHOOL, NIMBUWALA, GARHICANTT, जनपद देहरादून को अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 वर्ष हेतु दिनांक 20 मई 2024 से 19 मई 2027 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तो का पालन किया जाना आवश्यक होगाः–

1. प्रश्नगत भवन का मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत है भवन को उसी प्रयोजन हेतु उपयोग में लाया जाए। यदि स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन (हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/होटल आदि) हेतु किया जाता है तो अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रभावी नही रहेगा और स्वतः ही अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जाएगा।
2. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैट बैक तथा सीढ़ियॉं सदैव अवरोध मुक्त रखी जाए। इमरजेन्सी साईन एक्जिट, पावर बैक अप के साथ रहेगी।
3. शैक्षणिक भवन में कार्यरत सभी कर्मचारियों/विद्यार्थियों को उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों के संचालन तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है। समय–समय पर स्थापित अग्निशमन उपकरणों/यंत्रों का निरीक्षण/परीक्षण करते हुए सदैव कार्यशील रखेगे, तथा समय–समय पर मॉक ड्रिल करते रहेगे।
4. सभी अग्निशमन यंत्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन/प्रधानाचार्य की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यंत्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नही हो सकती। अतः प्रबन्धन/प्रधानाचार्य को अग्नि रोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
5. शैक्षणिक भवन में विद्युत यंत्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
6. शैक्षणिक भवन के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानको के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
7. भवन में संचालित लैब (कैमेस्ट्री, कम्पयूटर आदि) में सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।
8. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस–पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नही किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्नि दुघर्टना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नही की जाएगी।

(वी0 बी0 यादव) 20/5/24
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।

D M RAWAT
Principal (81618)
George Public School
Nimbuwala, Garhi Cantt.
Dehradun - 248003
Ph.: 0135-3560701

Col D R PATNAIK
Manager
George Public School
Nimbuwala, Garhi Cantt.
Dehradun - 248003
Ph.:0135-2750791, Fax:2754555